झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 138 / 2021

1. मोहम्मद नावेद, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता मोहम्मद खुर्शीद उर्फ़ खुर्शीद फुलवाला, निवासी अपर खुली, पास
   बी.एल.डी. झरिया, डाकघर और थाना झरिया, जिला- धनबाद
2. मोहम्मद शाद, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता मोहम्मद शाहिद उर्फ़ जावेद, निवासी अपर खल्ही, बी.एल.डी., झरिया के पास, डाकघर और थाना.- झरिया, जिला- धनबाद

.. याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विरोधी पक्षकार

याचिकाकर्ता के लिए : श्री आर.एस.मजूमदार, वरिष्ठ एडवोकेट।
श्रीमती जे. मजूमदार,
एडवोकेट श्री निशांत रॉय,
एडवोकेट।
रोहन मजूमदार, ए.डी.वी.

राज्य के लिए : श्री बी.एन.ओझा, अपर पीपी

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना

2.यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, इस आधार पर कि यह प्राथमिकी उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी है जिसके संबंध में झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 पहले ही पंजीकृत हो चुका है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 2020 का झरिया थाना कांड संख्या 177 घटना के लिए दर्ज किया गया था जो 13.45 बजे हुआ था और घटना का स्थान पुलिस स्टेशन के दक्षिण की ओर एक किलोमीटर की दूरी पर है और झरिया थाना कांड संख्या 177/2020

की प्राथमिकी एक अपराध के लिए दर्ज की गई है जिसमें मामले के अभियुक्त व्यक्ति, , सूचक के बेटे मोहम्मद जमाल को उस समय रोका जब वह मोटरसाइकिल चला रहा था, और उस पर *लाठी (छड़ी),* और *भुजाली* (तेज काटने वाले हथियार) *से जानलेवा हमला किया* और उसका पैर तोड़ दिया और

इसके बाद, मामले के आरोपी व्यक्तियों ने मुखबिर के घर पर पत्थर फेंके और अतिक्रमण किया और उसके घर में तोड़फोड़ की और मुखबिर के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिससे सूचक के घर में रहने वाले छह लोगो को चोटे आयी है

उन्होंने सूचक पक्ष की महिला सदस्यों की विनम्रता (शीलभंग) को भी अपमानित किया। झरिया थाना मामला संख्या 178/2020 एक घटना में दर्ज किया गया है जो थाना से दक्षिण 1.5 किलो मीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर 13.50 बजे से 14.05 बजे के बीच हुआ था और झरिया थाना प्रकरण संख्या 178/2020 की प्राथमिकी में लगाया गया आरोप है कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस पक्ष, कि दो समूह, लाठी और डंडे के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे

घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को देखते ही

समूह के सदस्य भागने लगे लेकिन कुछ लड़के वहीं रहे जबकि अन्य भाग गए। जब पुलिस दल वहां रहने वाले व्यक्तियों को शांत करा रहा था, अचानक कुछ लड़कों ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए, पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की और स्थानीय चौकीदार की मदद से, पुलिस कर्मी बदमाशों की पहचान कर सके, और उसी के आधार पर, झरिया पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर। झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 353, 323, 341, 342,504, 506, 34 के तहत दंडनीय अपराधो के लिए दर्ज किया गया है। झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341,323, 188, 269, 270, 325, 324, 427, 504, 506, 354, 307, 337, 338, 452,

महामारी अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51के अंतर्गत दंडनीय अपराधो के लिए निबंधित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं सी. **मुनियप्पन & अन्य बनाम तमिलनाडु**

राज्य में रिपोर्ट किया गया **(2010) 9 एससीसी 567**जिसमें उस मामले के तथ्यों के आधार पर एक राजनीतिक दल के सदस्यों ने

उनके नेता को एक मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल में डालने पर दो अलग-अलग बसें तोड़फोड़ की; उस मामले के तथ्यों में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि उस मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, और उसके परिणामस्वरूप जिसमें दो अलग-अलग बसों में तोड़फोड़ की दो घटनाएं हुईं, दूसरी घटना पहली घटना के अलावा और कुछ नहीं थी और वे एक ही घटना का हिस्सा हैं इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है और एक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य **के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं।**(2013) 6 एससीसी 348 **में रिपोर्ट** किया गया, जिसमें उस मामले के तथ्यों में, तुलसीराम प्रजापति की मदद से सोहराबुद्दीन की हत्या से संबंधित साजिश थी

और दूसरा सोहराबुद्दीन की हत्या के पूर्व षड्यंत्र के संभावित गवाह तुलसीराम प्रजापति की हत्या का षड्यंत्र होने के कारण भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों में यह निर्णय दिया कि सी **मुनियप्पन & अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित "परिणाम परीक्षण"

अर्थात यदि एक अपराध दुसरे प्राथमिकी के भाग के रूप मे प्रथम प्राथमिकी के कथित अपराध के परिणाम स्वरुप उत्पन्न होता है,

, तो दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदन में शामिल अपराध समान हैं और तदनुसार, दूसरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन कानून में अनुमेय नहीं होगी; उस मामले में लागू होती है, अत यह व्यवस्था दी गई है कि दोनों प्रथम सूचना रिपोर्टों में शामिल अपराधों को पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट के भाग के रूप में माना जाए और यह निवेदन करता है कि इस मामले में भी, इस प्राथमिकी से संबंधित घटना, 'परिणाम परीक्षण' को पूरा करती है जैसा कि **सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित किया गया है और इस मामले की घटना,उस घटना के परिणामस्वरूप हुई है, जिससे संबंधित झरिया थाना मामला संख्या 177/2020 दर्ज किया गया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 के संबंध में पहली सूचना प्रतिवेदन को रद्द किया जाए और खारिच किया जाए।

विद्वान अपर पीपी ने झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक

कार्यवाही के साथ-साथ पहली सूचना प्रतिवेदन को रद्द करने की प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया कि यह एक अलग घटना से संबंधित है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दोनों मामलों के घटित होने का स्थान एक दूसरे से आधा किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों घटनाओं का समय अलग-अलग है और रिकॉर्ड में यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 के अभियुक्त व्यक्ति, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* सचक के बेटे पर हमला करने के बाद, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ दी, झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 के सूचक के घर में तोड़फोड़ की और उस मामले के सूचक के परिवार की महिलाओं की विनम्रता को अपमानित किया (शीलभंग), गैरकानूनी सभा के सदस्य के झरिया थाना प्रकरण संख्या 178/2020, के तथ्य को दर्ज किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि दूसरी ओर

थाना कांड संख्या 178/2020 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उस मामले के आरोपी व्यक्ति गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। इसलिए, कल्पना के किसी भी खिंचाव से, यह नहीं कहा जा सकता है कि गैरकानूनी सभा के सदस्य, जिन्होंने पहली घटना को अंजाम दिया, इस तरह की गैरकानूनी सभा में जारी रहे, जिसके संबंध में, झरिया पीएस केस नंबर 178/ 2020 दर्ज किया गया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक ऐसा मामला है, जहां यह प्राथमिकी 'परिणाम परीक्षण' पर खड़े होने में विफल रहती है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है**

(सुप्रा), इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

1. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड में सामग्री को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि पहली घटना, जिसके लिए, 2020 का झरिया थाना कांड संख्या 177 दर्ज किया गया है, हुई और यह एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, सी**. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सुप्रा) के मामले के विपरीत,** रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे पता चलता हो कि यह वही गैरकानूनी जमावड़ा है, जिसने अपराध किया था, जिसके संबंध में 2020 का झरिया

थाना कांड संख्या 178 दर्ज किया गया है, बल्कि, वहां

झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 में कोई आरोप नहीं है कि एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने अपराध किया। झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 की घटना का स्थान आधा किलोमीटर की दूरी पर था, और इसमें उस मामले के सूचक का घर भी शामिल है, जिसमें तोड़फोड़ की गई थी और जहां सूचना देने वाले के घर की महिला सदस्यों की विनम्रता को अपमानित किया गया था, घर के निवासियों पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके द्वारा, घर के छह लोगों को चोट लगी है, जबकि घटना का स्थान, जिसके संबंध में, 2020 का झरिया थाना कांड संख्या 178 दर्ज किया गया है, एक पूरी तरह से अलग घटना के लिए था, जहां उस मामले के आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए, पुलिस कर्मियों को आपराधिक रूप से सूचित किया, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका और गलत तरीके से रोका और उन्हें कैद (निरूद्ध) कर लिया, साथ ही उन्हें चोट पहुंचाई।

2. रूप में जारी रखा और घटना का कारण बना,जिसके लिए

3. इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अभिलेख में सामग्री स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि जिस घटना के लिए झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 दर्ज किया गया है, एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा घटित नहीं किया गया है, झरिया थाना कांड संख्या 177/2020 के विपरीत और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें दोनों प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, चाहे मामले की सुनवाई शुरू हो गई हो या समाप्त हो गई हो, यह न्यायालय झरिया थाना कांड संख्या 178/2020 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है।

4. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय,
रांची दिनांक, 21 फरवरी,
2024 स्मिता /एएफआर

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]

5.